

P2P ऋण देने वाले प्लेटफॉर्मों पर RBI द्वारा त्वरति जाँच

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकगि वतितीय कंपनी-पीयर टू पीयर (P2P) लेंडगि प्लेटफॉर्म पर अपनी नयामक जाँच तेज़ कर दी है, जसिमें गैर-नषिपादति परसिंपततथिों (NPA) के उच्च स्तर सहति कई नयामक उल्लंघनों का पता चला है।

- अनधकृत जमा स्वीकृत और **एस्करो अकाउंट (Escrow Account)** में संदगिध रूप से बड़ी शेष राशति उल्लंघनों में से थे जनिहें RBI ने अपने मूल्यांकन के दौरान पाया और रपिर्त कथिा।
- कुछ P2P प्लेटफॉर्म ऋणदाताओं को समय से पहले धन-नकिसी की अनुमति देते थे तथा उन्हें नए ऋणदाताओं से प्रतसिथापति कर देते थे, जनिहें स्वयं के द्वारा लथि जा रहे ऋणों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी, इसे ही **पॉज़ी योजना** के रूप में जाना जाता है।
 - पॉज़ी योजना एक नविश धोखाधड़ी है जसिमें नए नविशकों से एकत्रति धन से मौजूदा नविशकों को भुगतान कथिा जाता है।
 - पॉज़ी योजना का नाम **चार्ल्स पॉज़ी** के नाम पर रखा गया है, जनिहोंने वर्ष 1919 में बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरकिा में एक धोखाधड़ी वाली नविश योजना चलाई थी, जसिमें 90 दनिों में नविश को दोगुना करने का वादा कथिा गया था।
- P2P प्लेटफॉर्म **व्यक्तथिों को RBI-वनियिमति NBFC के माध्यम से उधारकरत्ताओं को सीधे ऋण देने में सक्षम बनाता है**, जसिसे अल्पकालकि आवश्यकताओं के लथि त्वरति ऋण वतिरण की सुवधि मलिती है।
- RBI के जनि दशिा-नरिदेशों का उल्लंघन हुआ है उनमें कहा गया है कि NBFC-P2P संस्थाओं को कसिी भी ऋण जोखमि को उटाए बनिा केवल मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहथिे।
 - P2P प्लेटफॉर्म पीयर-टू-पीयर ऋण को नविश उत्पाद के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकते, जसिमें सुनश्चिति न्यूनतम रटिर्न या तरलता वकिलप जैसी वशिषताएँ हों।

और पढ़ें: [भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टिम में फनिटेक अगरणी](#)